तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.04.26	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित।	

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट वकील की बहस है कि ग्राम इटवाया तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1485 रकबा 64.17 बीघा व ग्राम पंऊ तहसील सिवाना के खसरा संख्या 52 रकबा 106 बीघा भूमि आई हुई है जो दूदाराम के खातेदारी की थी, अपीलाट संख्या 1 से 3 स्वर्गीय दूदाराम के जायन्दा पुत्रियां तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 स्व. दूदाराम के पुत्र व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 स्व. दूदाराम के पौत्र है। स्व. दूदाराम के फौत होने पर स्व. दूदाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान पुत्र व पुत्रियां जो अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम जरिये फौतदगी नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना था परन्तु तत्कालीन हल्का पटवारी ने स्व. दूदाराम के पुत्र संतान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 व 4 व 5 के पिता हाजराराम के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया, जबकि विधिक तौर से स्व. दूदाराम के निर्वसीयत फौत होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार स्व. दुदाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान अपीलाण्ट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 तथा 4 व 5 के पिता के नाम से नामान्तरकरण बहिस्सा बराबर 1/7–1/7 दर्ज किया जाना था, हल्का पटवारी ने गलती के कारण अपीलाण्ट का नाम अवैध व अनुचित तरीके से दर्ज कर दिया, नामान्तरकरण से न तो किसी के विधिक हक समाप्त ही होते है न ही ऐसे त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण से किसी को हक ही अर्जित होता है, अपीलाण्टगण द्वारा रेस्पोडेन्ट 1 ता 5 के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना में विवादित भूमियों के सम्बन्ध में बाबत खातेदारी अधिकार घोषणा के अनुतोष का वाद पत्र व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध मौका एवं रेकर्ड यथावत बनाये रखने का स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट पार्टी संख्या 2 जालमसिंह पुत्र भीमसिंह ने स्थगन आदेश विचाराधीन रहते हुए आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 2910 दिनांक 13.03.2024 को अवैध व अनुचित तरीके से विधि विरूद्ध जान बुझकर रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 9 से दिनांक 13.03.2024 को स्वीकृत करवा दिया, विवादित भूमि में अपीलाण्टगण को 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेण्टस 1 ता 5 का 1/2 हिस्सा सामलाती तौर से पैतृक सम्पत्ति के रूप में अर्जित है, अपीलाण्ट के पिता दुदाराम के फौत निर्वसीयत होने से अपीलाण्टगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रर्वतन एवं राजस्थान टनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 40 में दिये गये प्रावधान अनुसार विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा बनता है, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 शंकरलाल जिसका विधिक हिस्सा 1/7 था ने गलत फौतदगी म्यूटेशन की आड में विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा बता कर रेस्पोडेन्ट पार्टी संख्या 2 जालमसिंह को बेचान कदिया तथा उक्त गलत एव प्रभावहीन बेचा[illegible] में रेस्पोडेंट पार्टी संख्या 2 ने अपने नाम से नामान्तरकरण संख्या [illegible] दिनांक 13.03.2024 को रेस्पोडेन्ट तहसीलदार सिवाना से [illegible] करवा लिया जो पूर्णतया अवैध, अनुचित [illegible] है, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 शंकरराम का विवादित भूमि [illegible] हिस्सा बनता है उससे अधिक न तो शंकरराम को हक हिस्सा बेचान करने का अधिकार है तथा न ऐसा बेचान वैध हो सकता है, रेस्पोडेन्ट शंकरराम के द्वारा रेस्पोडेंटगण पार्टी सं 2 जालमसिंह के पक्ष में किया गया बेचान हिस्सा 1/4 अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रभावशून्य है तथा ऐसे अवैध अनुचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:44:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एंव प्रभाव शून्य बेचान से रेस्पोडेण्ट पार्टी संख्या 2 को कोई हक हिस्सा 1/7 से ज्यादा अर्जित नहीं होने के कारण आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 2910 दिनांक 13.03.2024 पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से काबिल अपास्त निरस्त है, विधि के तहत व्यथित पक्षकार को बिना सुनें उक्त आलौच्य नामान्तरकरण पारित किया गया है,जो नैसर्गिक विधि के सिद्धान्त का उल्लंघन कर पारित किया गया है उक्त आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण काबिल अपास्त निरस्त योग्य है, विधि के तहत बेचान का नामान्तरकरण प्रथमतया ग्राम पंचायत के समक्ष स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करना होता है तथा प्रस्तुती के बाद 45 दिन की समयावधि जाया होने के बाद ऐसे नामान्तरकरण तहसीलदार केसमक्ष स्वीकृति हेतु किया जाता है किन्तु आलौच्य नामान्तरकरण पटवारी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत न कर सीधे ही तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर आनन–फानन मे विधि विरुद्ध रूप से स्वीकृत करवा दिया जो कानूनी रूप से काबिल अपास्त निरस्त योग्य है, वादग्रस्त आराजी के बाबत खातेदारी अधिकार घोषणा का रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध वाद विचाराधीन है प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्टगण के पक्ष मेंनिहित है, रेस्पोडेण्ट पार्टी संख्या 2 द्वारा दिनांक 14.03.2024 को आगे क्रेता जोधसिंह व सोहनसिंह को बेचान कर दी गई उसी दिन रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 9 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2921 को स्वीकृत कर दी गई नामान्तकरण संख्या 2910 दिनांक 13.03.2024 पूर्णतया विधि विरूद्ध एंव अनैतिक आचरण नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए से लिप्त होने से काबिल अपास्त निरस्त के है। आलोच्य नामान्तकरण रेस्पोडेन्टगण द्वारा अवैध अनुचित तरीके से स्वीकृत कर दिया गजो अपीलाण्ट के हकों के पूर्णतया विरूद्ध है लिहाजा अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किया जाकर आलौच्य नामान्तकरण को अपास्त निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टगण अधिवक्ता की बहस है कि अपीलाण्टगण द्वारा माननीय सहायक न्यायालय सिवाना में विवादित भूमि का घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो लम्बित है उक्त वाद पत्र में डिकी जारी नहीं हुई है. तहसीलदार सिवाना द्वारा औलाच्य नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ तब विवादित भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था, आलौच्य नामान्तरकरण तहसीलदार सिवाना द्वारा स्वीकृत हुआ है. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अनुसार तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर अथवा माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष की जा सकती है, आलौच्य नामान्तरकरण की अपील विधि विरुद्ध होने से काबिल खारिज हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:44:00 IST
Reason: SelfAttested

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की [illegible] त्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीर[illegible] के परिप्रेक्ष्य में विवेचन कि[illegible] नामान्तरकर[illegible] ख्या 2910दि13. 03.2024 को तहसीलदार [illegible] राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 [illegible] 75 के अनुसा[illegible] सीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरकरण की अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर एवं मानीय न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर द्वारा सुनी जाती है। आलौच्य नामान्तरकरण तहसीलदार सिवाना द्वारा स्वीकृत होने से उक्त अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	श्रवणाधिकार अदालत हाजा को प्राप्त नहीं के कारण उक्त अपील अस्वीकार किया जाकर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। । निर्णय आज दिनांक 10.04.26 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:44:00 IST
Reason: SelfAttested